

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

संख्या / नयावत / 36 / 20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम

श्री किशोरीलाल पिता रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी नानूवाली बावड़ी तहसील खेतड़ी
जिला झुन्झुनू।

निर्णय दिनांक:- 18 दिसम्बर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है कि पटवारी हल्का नानूवाली बावड़ी के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम नानूवाली बावड़ी स्थित राजकीय भूमि ख0न0 2175/253 के रकबा 0.35 है0 में से रकबा 800 वर्गफीट किस्म बारानी-3 में नींव खोद कर दुकान निर्माण कार्य कर श्री किशोरीलाल पिता रामेश्वरलाल जाति ब्राहमण निवासी नानूवाली बावड़ी के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की तामिल विधिवत रूप से हुई है, जो सूचना हेतु पर्याप्त है। परन्तु आज कोई हाजिर नहीं। उसकी ओर से अन्य भी कोई हाजिर नहीं। कोई जवाब, सबूत आदि भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार गैर सायल के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 1 रुपया का 50 गुणा= 50 / रुपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

स. से. सं. 4 सं. 20-21
पृष्ठ नं. 20
कायम की गई।

तहसीलदार खेतड़ी लेखाकार
24/12/20

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुन्झुनू (राज0)